उत्तर प्रदेश शासन गृह विभाग (पुलिस) अनुभाग-1 संख्याः 8/2016/609/-पु-1-16-1300(7)/1994

लखनऊः दिनांकः 15 मार्च, 2016

<u>अधिसूचना</u> प्रकीर्ण

संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्सेटेबुलरी ऐक्ट, 1948 (संयुक्त प्रान्त ऐक्ट संख्याः 40, सन् 1948) की धारा 15 के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2015 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- 1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली. 2016 कही जायेगी।
 - (2) यह गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन 2-उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2015 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम-5 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (ख)(ग)(घ) और (ड.) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे. अर्थात :-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

- (ख) सहायक परिचालकः-
- (दो) 10 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मशाला कर्मचारियों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने सहायक परिचालक का आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अविध को सम्मिलत करते हुए इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो,
- (ग) प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक):-
- (एक) 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

- (ख) सहायक परिचालकः-
- (दो) 10 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मशाला कर्मचारियों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणीतीन उत्तीर्ण कर ली हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अविध को सिम्मिलत करते हुए इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो,
- (ग) प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक):-
- (एक) रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(दो) 50 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नित के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई सहायक परिचालकों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(यांत्रिक) का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अविध को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम आठ वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

(घ) रेडियो उप निरीक्षक:-

रेडियो उप निरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई प्रधान परिचालक/ प्रधान परिचालक/ प्रधान परिचालक (याँत्रिक) से जिन्होंने रेडियो उप निरीक्षक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिए हों और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में कम से कम दस वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

(इ.) रेडियो निरीक्षकः-

रेडियो निरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नित के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे रेडियो उप निरीक्षक से भरे जायेंगे, जिन्होंने रेडियो अनुरक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिए हों और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अविध को सिम्मिलित करते

से भरा जायेगा।

(दो) रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नित के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई सहायक परिचालकों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी-दो उत्तीर्ण कर ली हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अविध को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में कम से कम आठ वर्ष की संतोषजनक सेवा प्री कर ली हो।

(घ) रेडियो उप निरीक्षक:-

रेडियो निरीक्षक के उप स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधान स्थाई परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक) से जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी-एक उत्तीर्ण कर ली हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हए, इस रूप में कम से कम दस वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

(इ.) रेडियो निरीक्षकः-

रेडियो निरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे रेडियो उप निरीक्षक से भरे जायेंगे, जिन्होने रेडियो उप निरीक्षक अथवा रेडियो केन्द्र अधिकारी अथवा रेडियो अनुरक्षण अधिकारी प्रशिक्षण

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

हए, इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा पुरी कर ली हो।

पाठयक्रम उत्तीर्ण कर लिया हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

नियम-१४ का संशोधन

3- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ में दिये गये विद्यन नियम-14 के स्थान पर, स्तम्भ-२ में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

रिक्तियों का अवधारण:-14- नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या संख्या के साथ-साथ नियम-6 के नियम-६ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों जनजातियों और अन्य श्रेणियों के और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित संख्या भी अवधारित करेगा विभागाध्यक्ष को विभागाध्यक्ष भी रिक्तियों की संख्या बोर्ड संख्या बोर्ड एवं सरकार को सूचित एवं सरकार को सूचित करेगा। सीधी भर्ती करेगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां के लिए रिक्तियां विभागाध्यक्ष द्वारा बोर्ड द्वारा निम्नलिखित निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की अधिसूचित की जायेंगी:-जायेंगी:-

(एक) व्यापक परिचालन वाले दैनिक (एक) व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके: (दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस (दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर

चस्पा करके या रेडियो/दुरदर्शन और अन्य नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दुरदर्शन रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के विज्ञापन द्वाराः

(तीन) सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियां (तीन) अधिसूचित करके; और (चार) जनसंचार के किन्हीं अन्य माध्यमों (चार) जनसंचार के किन्हीं अन्य

स्तम्भ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 14- नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के के अधीन अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित और करेगा और विभागाध्यक्ष को सूचित सचित करेगा। करेगा। विभागाध्यक्ष भी रिक्तियों की

> समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके: माध्यम से विज्ञापन द्वारा:

सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके; और माध्यमों द्वारा।

नियम-१५ का संशोधन

द्वारा।

3- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ में दिये गये विद्यमान नियम-15 के स्थान पर स्तम्भ-२ में दिया गया नियम रख दिया जायेगा. अर्थात:-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

ग. अभिलेखों की संवीक्षा एवं चिकित्सीय ग. अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक परीक्षा

स्तम्भ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड मानक परीक्षा

घ. शारीरिक दक्षता परीक्षा-

घ. शारीरिक दक्षता परीक्षा-

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

खण्ड ग के अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो अईकारी प्रकृति की होगी। बोर्ड अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा. उनके अभिलेखों की संवीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षा दिनांक से यथासंभव अगले कार्य दिवस में करायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट-2 में विहित की गयी है।

खण्ड ग के अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। बोर्ड अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा. अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक परीक्षा के दिनांक मानक यथासंभव अगले कार्य दिवस में करायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट-2 में विहित की गयी

> आजा से. देबाशीष पण्डा प्रमुख सचिव, गृह

Uttar Pradesh Shashan Grih (Police) Anubhag - 1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 8/2016 /609/6-pu-01-16-1300(7)/1994, Dated: Marh 15, 2016:

NOTIFICATION

No. 8/2016 /609/6-pu-01-16-1300(7)/1994 Lucknow, Dated: March 15, 2016

In exercise of the powers under section 15 of the United Provinces Pradeshik Armed Constabulary Act, 1948 and all other power enabling him in this behalf the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Police Radio Subordinate Service Rules, 2015.

THE UTTAR PRADESH POLICE RADIO SUBORDINATE SERVICE (FIRST AMENDMENT) **RULES, 2016**

commen-

Short title and 1- (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Police Radio Subordinate Service (First Amendment) Rules, 2016

cement

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rule-5

2- In the Uttar Pradesh Police Radio Subordinate Service Rules, 2015, hereinafter referred to as the said rules, in rule-5 for clauses (b)(c)(d) and (e) set out in Column-I below, the clauses as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

> **COLUMN-I COLUMN-II**

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(b) **Assistant Operator-**

(ii) 10 percent of the posts shall be filled recruitment promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively unfit from amongst substantively appointed permanent Hands, who have obtained Basic Training course for Operator Training course Grade-III Operator Assistant and have completed five years of satisfactory service as such on the first day of the first day of the year of recruitment, year of recruitment, including the including the probation period. probation period.

(c) Head Operator/Head Operator (c) Head Operator/Head Operator (Mechanic)-

- (i) 50 percent of the posts shall be (i) 50 percent vacancies of the posts filled by direct recruitment by the Board.
- (ii) 50 percent of the posts shall be (ii) 50 percent vacancies of the posts filled recruitment through promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed permanent Assistant Operators, who have successfully passed Training Course for Head Operator/Head Operator (Mechanic) and have completed eight years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

(d) Radio Sub-Inspector-

Hundred percent of the total number of sanctioned posts of Radio Sub-Inspector shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst

(b) **Assistant Operator-**

(ii) 10 percent of the posts shall through be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis Workshop appointed permanent Workshop successfully Hands, who have passed the and have completed five years of satisfactory service as such on the

(Mechanic)-

- shall be filled by direct recruitment by the Board.
- shall be filled by recruitment through promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed permanent Assistant Operators, who have passed the Operator Training course Grade-II and have completed eight years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

(d) Radio Sub-Inspector-

Hundred percent of the total number of sanctioned posts of Radio Subshall be filled Inspector recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

substantively appointed permanent amongst Operator/Head Head Operator (Mechanic) who have passed Radio **Sub-Inspector** Course and have completed ten years of satisfactory Grade-I and have completed ten service as such on the first day of the years of satisfactory service as such year of recruitment, including the probation period.

(e) Radio Inspector-

Hundred percent of the total number of sanctioned posts of Radio Inspector shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Radio Sub-Inspector who amongst substantively have passed Radio Maintenance **Course** and have completed five years of satisfactory service as such on the Radio Station Officer or Radio first day of the year of recruitment, including the probation period.

substantively appointed permanent Head Operator/Head (Mechanic) who have Operator passed the Operator Training course on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

(e) Radio Inspector-

Hundred percent of the total number sanctioned posts of Radio Inspector shall be filled bν recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from appointed Radio Sub-Inspector who passed the Radio Sub Inspector or **Maintenance Officer Training course** and have completed five years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

Amendment of rule-14

In the said rules, for existing rule-14 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

COLUMN-I Existing rule

COLUMN-II Rule as hereby substituted

14- The appointing authority shall 14determine and intimate to the Head of determine and intimate to the Head Department the number of vacancies of Department the number of to be filled during the course of the vacancies to be filled during the year of recruitment as also the course of the year of recruitment as number of vacancies to be reserved also the number of vacancies to be for candidates belonging to the reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes the Scheduled Castes, Scheduled and other categories under rule 6. The Tribes and other categories under Head of the department shall also rule 6. The Head of the department intimate the number of vacancies to shall also intimate the number of the Board and the Government. The vacancies to the Board and the vacancies for direct recruitment shall Government. The vacancies for direct

The appointing authority shall

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

be notified by the **Head of the** recruitment shall be notified by the **department** in the following manner:-

- By issuing advertisement in daily (i) newspaper having circulation;
- (ii) By pasting the notice on the (ii) notice board of the office or by notice board of the office or by advertising through Radio/Television advertising through Radio/Television and other Employment newspapers;
- By notifying vacancies to the (iii) Employment Exchange; and
- By any other means of public (iv) (iv) communication."
- 4- In the said rules, in the existing rule-15 for clauses (c) and (d) set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

COLUMN-I **Existing clauses**

- Scrutiny of Documents and Medical (c) Examination.
- **Physical Efficiency Test-**(d)

Amendment

of rule-15

Candidates found successful in Scrutiny of Documents and Medical Examination as per clause (c) will be required to appear in Physical Efficiency Test, which will be of qualifying nature. As far as possible, the Board will try to conduct Physical Efficiency Test of candidates on the next day of their Scrutiny of Documents and Medical Examination Test. The procedure for conducting the Physical Efficiency Test shall be as prescribed in Appendix-2.

Board in the following manner:-

- By issuing advertisement in daily maximum newspaper having maximum circulation;
 - By pasting the notice on the and other Employment newspapers;
 - By notifying vacancies to the Employment Exchange; and
 - By any other means of public communication."

COLUMN-II Clauses as hereby substituted

- Scrutiny of Documents and Physical (c) Standards Test.
- **Physical Efficiency Test-**(d)

Candidates found successful in Scrutiny of Documents and Physical Standards Test as per clause (c) will be required to appear in Physical Efficiency Test, which will be of qualifying nature. As far as possible, the Board will try to conduct Physical Efficiency Test of candidates on the next day of their Scrutiny of Documents and Physical Standards Test. The procedure for conducting the Physical Efficiency Test shall be as prescribed in Appendix-2.

> By order, **Debasish Panda** Pramukh Sachiv, Grih

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।